न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामधन बनाम किशनलाल वगैरह

किस्म मुकदमाः–बाजदायरी प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 2025/119 (केकडी)

	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	
19.02.2026	रामधन बनाम किशनलाल वगैरह (2025/119) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर एकपक्षीय सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 20.02.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
20.02.2026	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी को दिनांक 19.02.2026 को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पूर्व अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को यह आवश्वासन दे रखा था कि उन्हे न्यायालय में हर पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यक्ता नहीं है एवं वे स्वयं प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी करते रहेंगे। इसी आश्वासनवश प्रार्थीगण भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। जब प्रार्थीगण ने प्रकरण की जानकारी हेतु दिनांक 17.02.2025 को अजमेर आकर अभिभाषक महोदय से सम्पर्क किया तो उन्होने प्रकरण की जानकारी कर बताया कि आपका प्रकरण दिनांक 17.09.2024 को अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज हो गया है जिसे पुनः नम्बर पर लेने की कार्यवाही करनी होगी। जिस पर प्रार्थीगण ने अन्य अधिवक्ता नियुक्त किया जिन्होंने नकल प्राप्त की एवं अविलम्ब उक्त बाजदायरी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में हुई उक्त सद्भाविक देरी को क्षमा किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा कर बाजदायरी प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट है अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा आर0वी0जे0 (21) 2014 पेज संख्या 472 के न्यायिक दृष्टांत में अंकन है कि " **Purpose of Rules of limitation is not to destroy the rights of the parties, rather the idea is that every legal remedy must be kept alive for a legislatively fixed period of time.**" इस अनुसार हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं कर मेरिट पर किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में हुयी देरी को न्यायहित में कन्डोन कर प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 200 रूपये की कोस्ट पर** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामधन बनाम किशनलाल वगैरह

किस्म मुकदमाः–बाजदायरी प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 2025/119 (केकडी)

–श्री हनुमान प्रसाद शर्मा

लगातार. . .

स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र बाजदायरी अन्दर मियाद शुमार की जाती है। उक्त कोस्ट अभिभाषक प्रार्थी राजस्व बार संघ, अजमेर में जमा करवा कर रसीद प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र बाजदायरी बाबत निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2024 को अपील अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गई।

उक्त पेशी पर बरवक्त आवाज प्रार्थीगण के पूर्व अधिवक्ता अन्य वेंच में बहस में व्यस्त होने कारण उपस्थित नहीं हो सके तथा जव न्यायालय में उपस्थित हुए जो उन्हे बताया गया कि उक्त प्रकरण अदम हाजरी में खारिज फरमा दिया गया। उपरोक्त कारण से प्रार्थीगण को यह आश्वासन दे रखा था कि उसे न्यायालय में हर पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यक्ता नहीं है एवं स्वयं प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी करते रहेंगे। इसी आश्वासनवश प्रार्थीगण भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन दिनांक 17.09.2024 को अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे इसलिए अपील को अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज किया गया। हमने ए0आई0आर 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 1400 के न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। हम इस तर्क से सहमत है कि वकील की गलती की सजा मुव्विकल को नहीं दी जा सकती है। हम प्रकरण को तकनीकी आधार पर निस्तारित नहीं कर गुणावगुण पर निस्तारित करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र बाजदायरी फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA

Scanned with CamScanner